उ0 प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ

न्यायालय सं0–8

(उपस्थित– माननीय श्री के0 रविन्द्र नायक, उपाध्यक्ष (प्रशासकीय)

निर्देश याचिका सं–646/2014

राधेश्याम, उम्र लगभग 45 वर्ष, पुत्र स्व0 हुबलाल, निवासी–ग्राम–संतोषपुर पोस्ट–औरैला मरीहनु जनपद–जौनपुर।

याची....

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0 प्र0 सचिवालय, लखनऊ।

विपक्षीगण....

याची की ओर से उपस्थित अधिवक्तागणः–.....श्री बी.एम.सिंह

विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता..... प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

निर्णय

1. याची द्वारा यह याचिका उ0 प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण (अधिनियम) 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत दण्डादेश दिनांकित 07.11.2012, जिसके द्वारा याची को परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी है एवं प्रस्तुत अपीलीय आदेश दिनांक 25.05.2013 को अपास्त करते हुए याची को समस्त पारिणामिक सेवा लाभ प्रदान किए जाने हेतु योजित की गयी है।

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.07.2011 को आरोप पत्र जारी किया गया। याची ने आरोप पत्र का जबाव दिनांक 13.01.2012 को दिया। याची के विरूद्व कतिपय अनिमिताओं के आधार पर दिनांक 17.07.2012 को एक कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए दिनांक 23.03.2012 को एक जांच आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें मुख्यतः आरोप यह है कि "वित्तीय वर्ष 2010–11 में चंदौली उप संभाग की माह सितम्बर, 2014 तक की राजस्व प्राप्तियां लक्ष्य के अनुरूप न होने के कारण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), चंदौली राधेश्याम के विरूद्व शासन के पत्र संख्या–2847/तीस–3–10–111 जीसी/10 दिनांक 18.01.2011 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। तदोपरान्त शासन के पत्र संख्या–1210 प्रेषित किया गया कि अपचारी अधिकारी को प्राप्त कराते हुए जांच आख्या प्रेषित की जाय। इसके अनुक्रम में जांच अधिकारी के पत्र संख्या–157(जी) इन्फ/2011 दिनांक 25.07.

2011 द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी को आरोप पत्र की एक प्रति प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद के रूप में जांच अधिकारी को वापस की जाय। संभागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी के पत्र संख्या–407–/सा0प्र0/अनु0कार्य0/आरोप–पत्र/2011 दिनांक 29.08.2011 द्वारा अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र प्राप्त कराने की सूचना दी गयी, जिसके अनुक्रम में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या–42(2) साप्र0/अनुशासनिक कार्यवाही/उत्तर/2011 दि0 13.01.2012 (प्रति संलग्नक) द्वारा आरोप पत्र का उत्तर उपलब्ध कराया गया। अपचारी कर्मचारी का स्पष्टीकरण/उत्तर तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों के आधार पर निम्नवत् स्थिति स्पष्ट है।"

याची ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि "जांच अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित पाये जाने का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि दिनांक 06.10.2010 को दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया। उर्पयुक्त जांच आख्या में जांच अधिकारी द्वारा प्रथम आरोप के जांच में निष्कर्ष प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी है, जो स्रोत वित्तीय वर्ष 2010 –11 में समाप्त हो चुके थे किन्तु उन स्रोत्रों का वित्तीय वर्ष 2009–10 में पूर्ण रूप से सहयोग था और वर्ष 2010–11 में इन स्रोत्रों को जीवित मानते हुए इन स्रोत्रों से प्राप्त राजस्व में 30.94 प्रतिशत की वृद्वि करते हुए राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य आपेक्षित था। आंकड़ों व साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि कम्पोजिट टैक्स के रूप में रू0 121.70 लाख़ और परिवहन यानों के अन्य संभागों में रजिस्ट्रीकरण के फलस्वरूप जमा हुआ रू0 14.73 लाख, इस प्रकार कुल योग रू0 238.59 लाख के राजस्व स्रोत्र आदि वित्तीय वर्ष 2010–11 में समाप्त नहीं हो जाते तो चन्दौली उपसंभाग की उपलब्धि रू0 1128.83 लाख होती जो क्रमिक लक्ष्य 1131.64 लाख के सापेक्ष 99.75 प्रतिशत प्राप्त होती और चंदौली उपसंभाग का स्थान राज्य स्तर पर अवरोही क्रम पर तीसरा होता न कि 69 वां। राजस्व वसूली के प्रति सचेत रहने एवं राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए सार्थक प्रयास इस बात से प्रमाणित होता है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 के सितम्बर 2010 तक के समस्त स्रोत्रों से प्राप्त राजस्व में से यदि स्पष्टीकरण के विरूद्व बिन्दु संख्या–1, बिन्दु संख्या–2 एवं बिन्दु संख्या–3 पर अंकित स्रोत से प्राप्त राजस्व को अलग कर दिया जाय तो अन्य परम्परागत स्रोत्रों से प्राप्त राजस्व को अलग कर दिया जाए तो अन्य परमपरागत स्रोत्र से प्राप्त होने वाले राजस्व में अधोहस्ताक्षरी द्वारा गत वर्ष 2009–10 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010–11 में 48.46 प्रतिशत की वृद्वि की गयी है, जबकि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मात्र 30.94 प्रतिशत की वुद्वि आपेक्षित थी। इस आधार पर जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या–1 को प्रमाणित नहीं पाया गया है।

अतः स्पष्ट है कि परिवहन आयुक्त के पत्र सं0 74/पीएसटी/10 दिनांक 27.09.2010 द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया

स्पष्टीकरण पत्र सं0 1594 /राज0 समीक्ष/अगस्त–10/मुख्या0 स्पष्टीकरण/10, दिनांक 06.10.2010 के संतोष जनक न होने के कारण वसूली के प्रति अनुउत्तरदायी पूर्ण रवैया अपनाने का जिम्मेदार माना गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्युत्तर में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में भेजा गया स्पष्टीकरण पूर्ण तथ्यों व साक्ष्यों के साथ न भेजे जाने के कारण स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया था जो अब पूर्ण तथ्यों व साक्ष्यों के साथ न भेजे जाने के कारण स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया था जो अब पूर्ण सत्यों व साक्ष्यों के साथ प्रेषित किया जा रहा है। जिसको स्वीकार करने की कृपा की जाय, जिसको प्रथम आरोप के प्रत्युत्तर में प्रमाणित किया जाता है। जांच अधिकारी द्वारा पाया गया है कि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से राजस्व वूसली में किसी प्रकार की लापरवाही व अनुउत्तर दायित्व पूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया है, क्योंकि जो स्रोत्र समाप्त हो गए थे उनको जीवित मानते हुए लक्ष्य प्राप्त करने का निर्धारण किया गया था। यदि ये स्रोत्र जिनको जीवित मानते हुए लक्ष्य निर्धारित किया गया था, यदि जीवित रहे होते तो सितम्बर 2010–11 तक की प्राप्ति लक्ष्य के सापेक्ष 99.75 प्रतिशत व प्रदेश स्तर पर जनपद का अवरोही क्रम में तीसरा स्थान होता न कि 69 वां। अर्थात जांच अधिकारी द्वारा तृतीय आरोप को मात्र अधोस्ताक्षरी द्वारा स्पष्टीकरण सं0–1594/राज0 समीक्ष/अगस्त–2010/मुख्या0/2010 दिनांक 06.10.2010 को दोषपूर्ण मानते हुए किया गया है, न कि राजस्व वसूली व राजस्व वसूली के प्रति किया गया गया कार्य व उत्तरदायित्व पूर्ण निवर्हन। स्वयं जांच अधिकारी द्वारा कहा गया है कि पूर्व में दिया गया स्पष्टीकरण के तर्को को साक्ष्यो/आंकडों से Substantiate नहीं किया गया है। अतः प्रथम आरोप में दिए गए तर्को के प्रति साक्ष्यों व आंकड़ों का स्वीकार करने में तृतीय आरोप स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि तृत्रीय आरोप में भी लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली न होने के संबंध में मांगा गया स्पष्टीकरण था।

अतः महोदय से अनुरोध है कि जांच अधिकारी द्वारा तृतीय आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित बताना और प्रथम आरोप का प्रमाणित न होना बताना स्वयं में सिद्व करता है कि यदि प्रथम आरोप के विपक्ष में दिए गए तर्को के प्रमाण में साक्ष्यों व आकड़ों को औचित्यपूर्ण माना जाता है, और वाह्य स्रोत्रों से प्राप्त होने वाली आय अब जो नहीं प्राप्त हुयी व जिनके स्रोत्र समाप्त हो गए हैं, को छोड़कर अन्य स्रोत्र से प्राप्त होने वाली आय में राजस्व की वृद्वि पूर्व वर्ष से 48.46 प्रतिशत की अधिक हुई है।"

3. विपक्षीगण द्वारा याचिका में याची के कथनों का प्रतिवाद करते हुए लिखित विवेचन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से विपक्षीगणों द्वारा कथन किया गया है कि याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो में उल्लेखनीय है चूँकि याची पर 01 आरोप आंशिक रूप से सिद्व पाया गया था अतः नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से पत्र दिनांक 17.07.2012 द्वारा याची का अभ्यावेदन मांगा गया था। याची के पत्र दिनांक 27.07.2012 द्वारा अभ्यावेदन उपलबध कराया गया। इस प्रकरण में आरोप

पत्र के साथ संलग्न साक्ष्य, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं आख्या एवं याची के अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उनके द्वारा दिनांक 06.10.2010 को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की हैसियत से जो स्पष्टीकरण दिया गया थ उसमें आरोपों का खण्डन साक्ष्यों एवं आंकड़ों के आधार पर नहीं किया था, जबकि अनुशासनिक कार्यवाही उनके विरूद्व प्रारम्भ हो चुकी थी याची से अपेक्षा थी कि उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में तथ्यात्मक आंकड़े देकर अपना तार्किक पक्ष प्रस्तुत करते। याची के द्वारा स्पष्टीकरण का संतोष जनक उत्तर उपलब्ध न कराया जाना वसूली के प्रति अनुत्तरदायित्यपूर्ण रवैये का द्योतक हैं इस प्रकार उ0 प्र0 शासन, परिवहन–3 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.11.2012 द्वारा याची को परिनिन्दा प्रविष्टि का दण्ड देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी, जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है, जिसके पारित किए जाने में किसी नियम एवं कानून का कोई उल्लघन नहीं हुआ और न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि है। अतः याचिका सव्यय निरस्त योग्य है।

4. याची ने उक्त लिखित विवेचन के विरूद्व प्रत्योत्तर शपथ पत्र दाखिल किया जिसमें अधिकाशतः निर्देश याचिका के तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5. मेरे द्वारा याची के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. याची के विरूद्व तीन आरोपों के संबंध में आरोप पत्र निर्गत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिनांक 30.07.2011 को निर्गत किया गया था, जिसके संबंध में जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या में दिनांक 23.03.2011 को जांच आख्या प्रस्तुत किया है, जिसमें आरोप संख्या–1, 2 प्रमाणित नहीं हुए हैं और आरोप संख्या 3 आंशिक रूप से प्रमाणित किया गया है। आरोप संख्या 3 यह है कि ***"चन्दौली जनपद की माह अगस्त की प्राप्ति असंतोषजनक होने के कारण इस कार्यालय के पत्र संख्या–74पीएसटी/10, दिनांक 27.09.2021 द्वारा आप से स्पष्टीकरण मांगा गया था। परन्तु आप द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर संतोषजनक नहीं उपलब्ध कराया गया है। आपके द्वारा स्पष्टीकरण संतोषजनक उपलब्ध न कराया जाना राजस्व वसूली के प्रति अनुत्तरदायित्व पूर्ण रवैया का स्पष्ट द्योतक है। इस प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के सुसंगत नियमों के विपरीत है।*** जिसके संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा यह उत्तर प्रस्तुत किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर संतोष जनक नहीं पाया गया है एवं स्पष्टीकण का संतोष जनक जवाब उपलब्ध न कराये जाने के कारण राजस्व की वसूली में शिथिलता होना प्रमाणित किया गया है, जबकि दण्डाधिकारी द्वारा आरोप साबित करने के लिए यह करना चाहिए था कि अगस्त माह की प्रगति किस आधार पर संतोष जनक नहीं रहीं आकड़ों सहित और दायित्वों किसी तरह विफल रहा है, उल्लेख करना चाहिए। आरोप स्वयं ही अस्पष्ट है। यह अस्पष्ट आरोप के कारण अपचारी अधिकारी के विस्तृत आंकडे सहित उत्तर का

सही ढंग से विश्लेषण व विवेचना नहीं किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में यह उल्लेख किया है कि ***"अपचारी अधिकारी का चंदौली उप संभाग की माह अगस्त, 2010 की प्राप्ति असंतोषजनक होने के कारण परिवहन आयुक्त के पत्र संख्या–74 पीएसटी/ 10, दिनांक 27.09.2010 द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के अनुक्रम में उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण (पत्र संख्या–1594/राज0समीक्षा/अगस्त–10/ मुख्य/स्पष्टीकरण/10, दिनांक 06.10.2010) के संतोषजनक न होने के कारण वसूली के प्रति अनुत्तरदायित्व पूर्ण रवैया अपनाने का अरोप है इस संदर्भ में अपचारी कर्मचारी का यह कहना है कि कदाचित अपने स्पष्टीकरण दिनांक 06.10.2010 में उनके द्वारा तथ्यात्मक एवं आंकड़े प्रस्तुत न किए जाने के कारण उनका स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया। जांचोपरान्त पाया गया कि उनके स्पष्टीकरण दिनांक 06.10.2010, जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की हैसियत से प्रेषित और हस्ताक्षरित किया गया है, में तथ्यों को सरसरी तौर पर वर्णन तो किया गया है लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ होने के उपरांत दिए गए स्पष्टीकरण की भॉति अपने तर्को को साक्ष्यों/आकड़ों से substantiate नहीं किया गया है। इन स्थितियों के आलोक में अपचारी अधिकारी पर आरोप संख्या–3 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।"***

जबकि याची द्वारा आंकड़े सहित विस्तृत विवरण दिया है, जिस पर कोई विवेचना नहीं किया है। आरोप में भी आंकडों का उल्लेख नहीं किया गया है। जांच अधिकारी व दण्डाधिकारी द्वारा अभिलेखों को बिना देखे आंशिक रूप से आरोप साबित कर दिया है एवं इसके आधार पर परिनिन्दा प्रविष्टि दिया है, जो स्थिर योग्य नहीं है। और याची के कारणा बताओं नोटिस के जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दिनांक 27.07.2012 को दण्डााधिकारी द्वारा सही ढंग से विवेचना किया है। जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब के प्रस्तर में यह भी उल्लेख है कि अगस्त माह के संबंध में वूसली की प्राप्ति के संबंध में याची द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष 11 पृष्ठों में दिनांक 13.01.2012 में जबाव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आकड़ों का उल्लेख किया गया है। संतोष जनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने का उल्लेख कर आरोप संख्या 3 को आंशिक रूप से साबित करना, मुखरित व सकारण आदेश नहीं कहा जायेगा। दण्डादेश के विरूद्व याची द्वारा शासन में प्रस्तुत अपीलीय/पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें काल बाधित होने के कारण निरस्त किया जा चुका है, परन्तु अपील में यह उल्लेख किया गया कि ***"इसके अतिरिक्त राधेश्याम द्वारा अपनी अपील में वही तथ्य दोहराए गए हैं, जो जांच अधिकारी को दिए गए अपने स्पष्टीकरण और जांच आख्या पर उपलबध कराए गए अभ्यावेदन में वह दे चुके है। राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत अपील में ऐसा कोई नवीन या विशिष्ट तथ्य नहीं दिए गए हैं, जिसके आधार पर कार्यालय ज्ञाप संख्या–2417/30–03–12.–28 जीसी/2011, दिनांक 07.11.2012 द्वारा दिए गए दण्डादेश पर पुनर्विचार किए जाने का औचित्य स्थापित होता है।"***

चूँकि काल बाधित होने के साथ–साथ गुणदोष के आधार पर भी अपीलीय अधिकारी ने विवेचना किया है। परन्तु अपील में दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश मुखरित व सकारण न होने के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया है। साथ–साथ मूल आदेश ही तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपीलीय आदेश स्वतः निस्प्रभावी माना जायेगा। दण्डादेश व अपीलीय आदेश निरस्त किया जाना व याचिका स्वीकार योग्य पायी जाती है।

आदेश

याचिका स्वीकार की जाती है। दण्डादेश दिनांकित 07.11.2012 एवं अपीलीय आदेश दिनांक 25.05.2013, को अपास्त किया जाता है। याची उक्त आदेशों के अपास्त होने के फलस्वरूप समस्त पारिणामिक सेवा लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

विपक्षीगण इस आदेश का अनुपालन, इस आदेश की सत्यप्रति प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

पक्षकार अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगें।

ह0/–
(के. रविन्द्र नायक)
उपाध्यक्ष(प्रशा0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–

(के. रविन्द्र नायक)
उपाध्यक्ष(प्रशा0)

दिनांकः 19.08.2026
अ.कुमार